1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी– नित्या के0 आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0————————————————126/2018

प्रविष्टि दिनांक ———————————————25.10.2018

उनवान

1. अम्बालाल पुत्र श्री केसरा जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
2. हजारी पुत्र श्री केसरा जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
3. नन्दा पुत्र श्री केसरा जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
4. रामफूल पुत्र श्री केसरा जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
5. पाना पुत्री श्री केसरा जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
6. मीरा पुत्री श्री केसरा जाति भील निवासी सुनेला हाजीरपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
7. मुकेश पुत्र सुखपाल जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
8. कालू पुत्र सुखपाल जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
9. मनराज पुत्र सुखपाल जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
10. कैलाशी पुत्री सुखपाल जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
11. सुमन पुत्री सुखपाल जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0
12. नन्दू देवी बेवा सुखपाल जाति भील निवासी सुनेला हाजीपुरा तह0 व जिला टोंक राज0

–आवेदकगण

बनाम

1. तहसीलदार टोंक (राज0)
2. गिरदावर हलका ग्राम देवपुरा तहसील टोंक जिला टोंक राज0
3. पटवार हलका ग्राम देवपुरा तहसील टोंक जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री राजेश शर्मा–अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुनलाल मीणा–पेरोकार सरकार

निर्णय
(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक–05.01.2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवून्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख0नं0 204/2 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 207 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 208 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 210 रकबा 4 बीघा, ख0नं0 814 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सुनेलाहाजीपुरा पटवार हलका देवपुरा तहसील व जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात आवेदक की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। आवेदक अपनी उक्त खातेदारी की आराजी को काश्त करता आ रहा है। आवेदक की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी के मौके पर सीमाओं के चिन्ह मिट चुके है, जिससे आये दिन पडोसी काश्तकारो से आवेदक व उनके परिवार जनो से झगडा फसाद होता है तथा पडोसी काश्तकारान आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त भूमि में जबरन घुसने व जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। इस कारण आवेदक की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की पत्थर गढी करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। आवेदन मय शपथ पत्र

प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जी टोंक से आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 204/2 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 207 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 208 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 210 रकबा 4 बीघा, ख0नं0 814 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सुनेलाहाजीपुरा पटवार हलका देवपुरा तहसील व जिला टोंक का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये। अन्य जो आवेदक के हित में प्रकरण की परिस्थितियों में उचित, आवश्यक एवं लाभप्रद हो प्रदान की जाये।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार टोंक से जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की भूमि ख0नं0 204/2, 207, 208, 210, 814 किता 5 रकबा 13–04 का पूर्व में सीमाज्ञान संबंधी साक्ष्य पत्रावली में नही है। प्रतिवादीगण से पूर्व में सीमाज्ञान बाबत कोई प्रार्थना संबंधि साक्ष्य नही है। अतः सीमाज्ञान पूर्व वाद विरूद्ध तथ्य पाये जाने पर वादी का वाद अस्वीकार योग्य है। साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमाबंदी संवत 2072–75 वाके ग्राम सुनेलाहाजीपुरा पेश किय गये। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी का जवाब भी विधि विरूद्ध है एंव प्रार्थनापत्र की स्वीकारोक्ति की ओर इशारा करता है। एलआरएक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सीमाज्ञान के अभाव में आवेदन पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, अपनी उपस्थिति मे भूमि ख.न. 204/2 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 207 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 208 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 210 रकबा 4 बीघा, ख0नं0 814 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सुनेलाहाजीपुरा पटवार हलका देवपुरा तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर, पालना रिपोर्ट दिनांक 15 दिवस से पूर्व इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

आदेश आज दिनांक **05.01.2021** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जि[illegible])
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक